UPJSSR
CSSS

आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्तिः शिक्षा व्यवस्था और कानून

डॉ. गीता शर्मा*, डॉ. वीना कपूर**

मई 2018 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मानसिक चिकित्सा अधिनियम 2017 की अधिसूचना जारी की जिसके अंतर्गत सन् 1863 से प्रचलित भारतीय दंड संहिता की धारा 309 को हटा दिया गया हैं। इस धारा के अंतर्गत आत्महत्या का प्रयास करने वाले के लिए सजा का प्रावधान था। मेंटल हेल्थकेयर एक्ट 2017 के सेक्शन 115 के अनुसार आत्महत्या करना इतना सहज नहीं होता है। व्यक्ति असहनीय मानसिक दबाव के कारण कई बार ऐसा कदम उठाने को मजबूर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को दंडित करना मानवीयता नहीं है, क्योंकि ऐसे में उसे दंड की नहीं इलाज और सहानुभूति की आवश्यकता होती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रतिवर्ष तकरीबन आठ लाख लोग आत्महत्या करते हैं। हमारे देश में करीब 6.7 प्रतिशत लोग अलग–अलग प्रकार की मानसिक व्याधियों से ग्रस्त हैं। करीब दो प्रतिशत लोग गंभीर मानसिक बीमारियों से पीड़ित हैं। हैरानी की बात यह है कि आत्महत्या की प्रवृत्ति युवाओं के साथ–साथ किशोरों और अनेक बार तो बच्चों तक में देखी जाने लगी हैं।

ओ' कॉरनॉर आर सी० एवं नॉक एम०के०ने जून 2014 में प्रकाशित अपने लेख 'द साइकॉलजी ऑफ सूसाइडल बिहेवियर' नामक लेख में आत्महत्या के अनेक कारणों में सबसे बड़े कारण बताए थे–निराशा, जीवन के प्रति विरक्ति, अवसाद और जीवन मे समायोजन की कमी।

हम सब इस से सहमत ही नहीं हैं बल्कि महसूस भी करते हैं कि आज के बढ़ते हुआ अपराधिक समाज में लगातार समाजिक दूरी और व्यक्तिगत दूरी बनाते हुए हर मिलने–जुलने वाले के प्रति आंशकित व्यक्ति धीरे–धीरे मानसिक रूप से अस्थिर तथा निराश होता जा रहा है। यह निराशा और अस्थिरता यही दिखाती है कि मानव मात्र की मानसिक बुनावट ऐसी हुई है कि वह एंकात तो पसंद कर सकता है पर अकेलापन नहीं। उस अकेलेपन को दूर करने के लिए वह सहारा लेता है सोशल मीडिया का। पर वास्तविक संसार और आभासी दुनियाँ का अंतर उसे और भी अकेला कर देता है। यह आभासी दुनिया वास्तव में ऐसे भुलावे में हमें उलझाए रखती है कि जब तक असलियत से वास्ता नहीं पड़ता, व्यक्ति को अपने आस–पास के किसी की सुध लेने की भी सुध नहीं रहती।

युवा प्रतिभाओं का जानबूझ कर जीवन को समाप्त कर लेने की प्रवृत्ति उसके कारणों की ओर बरबस ध्यान खींचती है। मन अनेक प्रकार के कयास लगाता है। आत्महत्या की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। किसानों की आत्मघात की दुर्घटना जग–जाहिर है। उसके पीछे गरीबी, भुखमरी, खेती की दुर्दशा और बढ़ते हुए कर्ज की चिंता समझ में आती है। यह वह भौतिक कारण है जो समाज के लिए चिंता का विषय हैं।इन्हे दूर करने की एक हद तक कोशिश की जा सकती है और की भी जा रही है।